सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण संख्या : 62/2003

[illegible]–

1. शिवनारायण पुत्र रामनाथ
2. कैलाशी, बच्ची पुत्रियां रामनाथ जाति मीणा निवासी कवल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

...वादीगण

♠ बनाम ♠

01. रामप्रताप पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी कवल्दा तह0 पीपल्दा

1/1 महावीर पुत्र 1/2 जगदीश पुत्र 1/3 गोपीचन्द पुत्र 1/4 जानकी बाई पुत्री 1/5 प्रेम बाई पुत्री	} पिसरान रामप्रताप जाति मीणा निवासी कंवल्दा

02. तुलसी बाई पुत्री रतनलाल जाति मीणा निवासी कवल्दा
03. लालाराम पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी कवल्दा
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट0</u>

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादीगण : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 04.01.2003 — निर्णय दिनांक : 14.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं0 109 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 114 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा आराजी ग्राम बालापुरा में स्थित है। आराजी के केचमेंट बाद के नये खसरा नं0 603 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 715 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 604 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 716 रकबा 1.33 है0, खसरा नं0 618 रकबा 1.86 है0 दर्ज हुयी उक्त आराजी मोतीलाल पुत्र देवबक्श मीणा निवासी कंवल्दा के नाम जमाबंदी

[illegible] में अंकित है। मोतीलाल का देहान्त हो गया है। मोतीलाल के दा लडके रामकिशन, [illegible] का भी देहान्त हो चुका है। उक्त आराजी का इंतकाल नं0 116 से मृतक मोतीलाल, रामकिशन, [illegible] के स्थान पर प्रताप पुत्र रामकिशन कंचन, गुलाब पुत्रियां रामकिशन मोत्या बेवा रामकिशन व [illegible] लालाराम पुत्र रामनाथ बच्ची कैलाशी पुत्रियां रामनाथ फूमा बेवा रामनाथ के नाम दर्ज कराने का आदेश हुआ था। वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिवादी गण 1, 2 व 3 ने राजस्व कार्मिको से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली गयी है। जो कि विधि के प्रावधानो के विपरीत है। प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 ने इंतकाल नं0 192, 190, 302, 197 के जर्ये खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश करवाया है जो गलत है। अतः वादीगण नं0 1, 2 व 3 का उक्त आराजी खसरा नं0 603 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 715 रकबा 1.47 है0 आराजी लालाराम पुत्र रामनाथ, खसरा नं0 604 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 716 रकबा 1.33 है0 रामप्रताप पुत्र किशनलाल, खसरा नं0 618 रकबा 1.86 है0 तुलसी बाई पुत्री रतनलाल के नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुए है उनको निरस्त करते हुए उक्त शामलाती खाते की आराजी में वादीगण श्योनारायण पुत्र रामनाथ बच्ची, कैलाशी पुत्रियां रामनाथ को 1/2 हिस्से उक्त शामलाती खाते की आराजी में पृथक से राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 04.01.2003 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम 1/1 ता 1/5 रेकार्ड पर लिया जाकर संशोधित टाईटल पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। कायम मुकाम 1/1 ता 1/5 की ओर से जर्ये अधिवक्ता श्री हरिओम इकबालिया जवाब दावा पेश करके वाद की प्रार्थना स्वीकार की। प्रतिवादी कम 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादिया कम 3 तुलसी बाई की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत जैन द्वारा जवाब दावा पेश करके कथन किया कि मोतीलाल के दो लडके थे जो कमशः रामनाथ व किशनलाल था। किशनलाल के एक पुत्र था जो रामप्रताप था। रामनाथ ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे जिसमें पहले विवाह के बाद रतनलाल पैदा हुआ तथा दूसरी पत्नि से लाला व शिवनारायण पैदा हुए तथा वर्तमान में रतनलाल का इंतकाल हो चुका है और रतनलाल के कोई जाइन्दा पुत्र नही था केवल उसकी एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी केवल तुलसी बाई प्रतिवादी नं0 2 थी। वादीगण बेईमानी पूर्वक प्रतिवादी नं0 2 को परेशान करने की नियत से सही तथ्यों को छुपाकर न्यायालय में पारिवार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नही किया है तथा बैईमानी पूर्वक जमीन प्राप्त करना चाहता है प्रतिवादी नं0 2 तुलसी बाई अपने पिता का हिस्सा हाल खसरा नं0 618 रकबा 1.86 है0 पर खोला गया इंतकान सही व दुरूस्त है। इस प्रकार वादीगण का प्रतिवादी नं0 2 की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक नही बनता है वाद मनगढंत है खारिज योग्य है। वाद पत्र जवाब दावा प्रतिवादी कम 1 व 2 के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

विवाद्यक नं0 1– आया वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी बराबर बराबर के हिस्से दार है। वादी

विवाद्यक नं0 2– आया प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 ने बिना विधिक प्रकिया के सेटलमेंट कार्मिको से मिलकर खातेदारी आराजी प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। वादी

विवाद्यक नं0 3– आया वादीगण, प्रतिवादी नं0 2 का नाम खाते में दर्ज नाम निरस्त करवाकर वादीगण का नाम इन्द्राज करवाकर अपना हिस्सा 1/2 अलग दर्ज कराने के अधिकारी है। वादी

विवाद्यक नं0 4– आया प्रतिवादी नं0 2 मृतक रतनलाल की वारिस व उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी

विवाद्यक नं0 5– अनुतोष

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 शिवनारायण, पीडब्ल्यू 2 मोतीलाल के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में ईएक्स 1– इंतकाल नं0 116 (मृतक मोतीलाल का फौती इंतकाल) ईएक्स 2– जमाबंदी ग्राम बालापुरा सम्वत 2035–38 खातेदार प्रताप पुत्र रामकिशन, कंचन गुलाब पुत्रियां व मोत्या बेवा रामकिशन व रतनलाल लाल शिवनारायण पुत्र रामनाथ बच्ची बैलाशी पुत्रियां रामनाथ फूला बेवा रामनाथ।

प्रतिवादिया कम 2 तुलसी बाई की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गयी है लेकिन दौराने जिरह पीडब्ल्यू 1 शिवनारायण निम्न दस्तावेज जिरह में प्रदर्श करवाये गये। ईएक्स डी 1– जमाबंदी सम्वत 2019–22 ग्राम बालापुरा खातेदार मोतीलाल बेटा देवबक्श मीणा सा0 कवल्दा ईएक्स डी 2– जमाबंदी सम्वत 2057–60 बालापुरा खातेदार रामप्रताप पुत्र किशनलाल ईक्स डी 3– इंतकाल नं0 190 बालापुरा से केचमेंट में खसरा नं0 बदलकर खसरा नं0 604 रकबा 0.69 है0 दर्ज ईक्स डी 4– इंतकाल नं0 302 बालापुरा से केचमेंट से खसरा नं0 बदलकर खसरा नं0 716 रकबा 1.33 है0 दर्ज ईएक्सडी 5– जमाबंदी ग्राम बालापुरा सम्वत 2057–60 खातेदार तुलसी बाई इंतकाल नं0 197 नये खसरा नं0 618 रकबा 1.86 है0 दर्ज किये गये। ईएक्स डी 6 जमाबंदी सम्वत 2057–60 ग्राम बालापुरा खातेदार लाला पुत्र रामनाथ दौराने केचमेंट नवीन खसरा नं0 603 रकबा 0.17 है0 खसरा नं0 715 रकबा 1.47 है0 दर्ज किये गये। ईएक्स डी 7– जमबंदी ग्राम कंवल्दा तहसील पीपल्दा सम्वत 2051–54 खातेदार रतनलाल, लाला, शिवनाराण पिसरान रामनाथ, कैलाश बच्ची पुत्रियां रामनाथ फूला बेवा रामनाथ हिस्सा बराबर। ईएक्स डी 8– इं0 नं0 197 बालापुरा दौराने केचमेंट नवीन खसरा नं0 तुलसा बाई के खसरा नं0 618/1.86 दर्ज किये गये। ईएक्स डी 9– इंतकाल नं0 192 बालापुरा में दौराने केचमेंट नवीन खसरा नं0 603/0.17 है0 लाला राम के दर्ज किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वादीगण का मुख्य तर्क बहस में यह रहा है कि पूर्व खातेदार मृतक मोतीलाल का फौती इंतकाल 116 दर्ज होने पर वादीगण का नाम दर्ज हो गया था। तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2035–38 में वादीगण का नाम दर्ज हो रहा है। लेकिन दौराने केचमेंट राजस्व कार्मिको ने इंतकाल

[illegible] 182, 190 व 302 के जर्ये सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के दर्ज कर दी। तथा वादीगण [illegible] कोई आराजी खाते में दर्ज नही है। इसलिए वादीगण का नाम 1/2 हिस्से में जोडा जावें। तथा प्रतिवादी क्रम 2 तुलसी बाई का नाम खाते में से हटाया जावें।

प्रतिवादी क्रम 2 तुलसी बाई के अधिवक्ता का बहस में मुख्य तर्क यह रहा है कि रामनाथ की पहली पत्नि से रतनलाल का जन्म हुआ है और रतनलाल की तुलसी बाई एकलौती वारिस है। तथा रामनाथ की दूसरी पत्नि से लालवराम व वादीगण शिवनारायण वगै0 का जन्म हुआ है। इसलिए तुलसा बाई 1/2 हिस्से की मालिक है। उसका नाम 1/2 हिस्से में दर्ज किया जावें। तथा प्रतिवादी क्रम 2 के नाम भूमि खसरा नं0 618 रकबा 1.86 है0 सही व दुरूस्त है। इसको ऐसे ही रहने दिया जावें।

न्यायालय तनकी अनुसार अधिवक्ताओ की बहस सुनकर निम्न प्रकार से तनकीयों का निर्णय किया जा रहा है–

तनकी नं0 1:– इस तनकी को साबिक करने का भार वादी पर था वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि एक्स 1 जमाबंदी ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल की आराजी कुल 41 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार मोतीलाल पुत्र देवबक्श था। इसी पुष्टि जमाबंदी एक्स डी 1 से भी होती है। आगे बहस में कथन किया कि मोतीलाल के मरने के बाद फौती इंतकाल नं0 116 आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के दर्ज की गयी। यह स्वीकार्य तथ्य है। कि मोतीलाल के दो लडके थे। रामकिशन व रामनाथ अर्थात मोतीलाल के मरने के बाद 1/2 हिस्से में किशनलाल व 1/2 हिस्से में रामनाथ का नाम खाते में दर्ज हुआ। किशनलाल की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आराजी 1/2 में रामप्रताप वगै0 का नाम दर्ज हुआ। तथा रामप्रताप की मृत्यु के बाद उसकी कायम मुकामान 1/1 ता 1/5 के नाम आराजी दर्ज हो रही है। रामनाथ का 1/2 हिस्से में उनके मरने के बाद एक्स 2 से रतनलाल, लाला, श्योनारायण पुत्र रामनाथ व कैलाशी, बच्ची बाई पुत्रियां रामनाथ के नाम आराजी दर्ज की गयी। इस प्रकार रामनाथ के हिस्से में पांच वारिस हिस्सा प्राप्त करेंगे अर्थात प्रत्येंक वारिस को 1/5 हिस्सा प्राप्त होगा जो कि 1/2 का 1/10 हिस्सा बनता है। अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 1 की मुख्य बहस रही है कि प्रतिवादी क्रम 1 किशनलाल का पुत्र होने से 1/2 हिस्से का खातेदार है। और उसके अपना 1/2 हिस्सा अलग करवा लिया आज भी खाता संख्या 120 ग्राम बालापुरा में प्रतिवादी क्रम 1 मृतक रामप्रताप के वारिसान की कुल आराजी 2.23 है0 दर्ज हो रही है। वादीगण भी प्रतिवादी क्रम 1 की बहस सें सहमत होते हुए कहा कि हमें प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी से कोई सरोकार नही है। वादीगण के हिस्से की आराजी प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के खाते में दर्ज है।

वादीगण ने कहा कि मृतक खातेदार रामनाथ के पांच वारिसान होने से प्रत्येक का उनके हिस्से की आराजी में 1/10 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादीगण का कुल 3/10 हिस्सा बनता है। और प्रतिवादी क्रम 2

[illegible] बाई का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 3 लालाराम का 1/10 हिस्सा बनता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 रामप्रताप 1/2 हिस्से का व वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 1/10–1/10 हिस्से का सहखातेदार घोषित किये जाते है। इस प्रकार यह तनकी नं0 1 आंशिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

गवाह पीडब्ल्यू 1 शिवनारायण ने अपने बयान में कहां है कि रामनाथजी के तीन पुत्र रतनलाल, लाला और शिवनारायण दो पुत्रियां कैलाश व बच्ची बाई है। इसकी पुष्टि प्रतिवादी क्रम 1 का जवाब दावा व प्रतिवादी क्रम 2 का जवाब दावा करता है। शिवनारायण ने यह भी अपने बयान की जिरह में कहा है कि रतनलाल की एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादनी क्रम 2 तुलसा बाई है। यह भी अपनी जिरह में कहा है कि मोतीलाल के दो लडके रामनाथ व किशनलाल है।

तनकी नं0 2– तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं0 1 के विवेचन से यह स्पष्ट रूप से निर्णित कर दिया गया है कि रामनाथ के तीन पुत्र रतनलाल, लाला व श्योनारायण तथा दो पुत्रियां कैलाश व बच्ची बाई है। इस लिए दौराने केचमेंट रामनाथ के वारिसान के नाम भी नवीन खसरा नं0 के साथ खाते में आराजी दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन केचमेंट के बाद रामनाथ के दो ही उत्तराधिकारी रतनलाल की पुत्री तुलसा बाई के नाम इंतकाल नं0 197 से आराजी दर्ज कर दी गयी। और लाला के इंतकाल नं0 392 व 305 से आराजी दर्ज कर दी गयी। जो हाल खाता संख्या नया क्रमशः 57 व 201 में ग्राम बालापुरा में दर्ज है। इंतकाल नं0 190 व इंतकाल नं0 302 से किशनलाल के वारिस रामप्रताप के खाते आराजी केचमेंट के बाद दर्ज की गयी है जो सही है। यह बयान में कहा गया है। इसको वादीगण के अधिवक्ता भी स्वीकार करते है। एक्स डी 3, 4, 5 व 9 व 10 दौराने केचमेंट नवीन खसरा नं0 के साथ आराजी खातेदार के दर्ज की गयी है इसमें इं0 नं0 197, 192 व 305 खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि इनके द्वारा ही आराजी प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के खाते दर्ज की गयी। उक्त विवेचन से इं0 नं0 197, 192 व 305 खारिज किये जाते है। उक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 व 4:– इसको साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर है। दोनो तनकीयों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। पीडब्ल्यू 1 शिवरानारायण ने अपने बयान व जिरह में साफ कहा है कि मृतक रामनाथ खातेदार के तीन पुत्र रतनलाल, लाला, शिवनारायण व कैलाशी बाई तथा बच्ची पुत्रियां है। रतनलाल के एक मात्र उत्तराधिकारी उसकी पुत्री तुलसी बाई है। इं0 नं0 116 से भी रतनलाल का नाम खाते में दर्ज है। गवाह पीडब्ल्यू 2 बद्रीलाल ने जिरह में कहा है कि रतनलाल की पुत्री तुलसी बाई है। बयान गवाह व राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि रामनाथ का पुत्र रतनलाल व रतनलाल की पुत्री तुलसी बाई है। जिसका नाम राजस्व रेकार्ड में खारिज नही किया जा सकता। वादीगण रामनाथ के पुत्र व पुत्रियां है

[illegible] 1/2 नही होकर प्रत्येक का 1/10 हिस्सा बनता है। उपरोक्त विवेचन से तनकी नं0 3 व 4 [illegible] के विरूद्व तथा प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

[illegible]– वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से निर्णित किया जाता है।

1. इंतकाल नं0 197, 192 व 305 ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल खारिज किये जाते है।
2. यह कि खाता संख्या 57 ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 618 रकबा 1.86 है0 की खातेदार तुलसी बाई पुत्री रतनलाल मीणा के साथ–साथ संभाग में वादीगण शिवनारायण पुत्र रामनाथ कैलाशी बाई पुत्री रामनाथ, बच्ची बाई पुत्री रामनाथ तथा लाला पुत्र रामनाथ सभी जातियान मीणा निवासीगण कंवल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा को सहखातेदार घोषित किया जाकर खाता संख्या 57 में इनका नाम सम–भाग में दर्ज किया जावें।
3. यह कि खाता संख्या 201 ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 603 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 715 रकबा 1.47 है0 कुल किता 2 रकबा 1.64 है0 का खातेदार लालाराम पुत्र रामनाथ मीणा के साथ–साथ वादीगण शिवनारायण पुत्र रामनाथ, कैलाश बाई पुत्री रामनाथ, बच्ची बाई पुत्री रामनाथ तथा तुलसी बाई पुत्री रतनलाल जाति मीणा निवासी कंवल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा घोषित खातेदारो का नाम खाता संख्या 201 में सम–भाग में दर्ज किया जावें।

वादीगण के पक्ष में डिक्री आज दिनांक 14.02.2019 को जारी की जाती है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन